न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **21/15 (वाद)**

GCMS No. : 2015/00080

1. चतरा पिता कमला जाति भील आयु वयस्क निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) .....वादी

बनाम

1. श्रीमती राधाबाई पत्नी डालू भील आयु वयस्क निवासी कुण्डाल हाल निवासी 153, हरिजन बस्ती, ढेबर कोलोनी, खेमपुरा उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)
2. धर्मराज पिता भेरूलाल भील आयु वयस्क निवासी नांदवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. उप पंजीयक, उप पंजियन कार्यालय मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. गोपाल पिता लोगर भील आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा, डांगरिया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री खुमाणसिंह, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 21.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुण्डाल, पटवार हल्का नाहरमगरा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1244, 1246, 1247, 1248 किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से आराजी नम्बर 1244, 1246, 1248 सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 1247 में से 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर अंकित है तथा आराजी नम्बर 1247 में से 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी जो पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित थी तथा प्रतिवादी सं. 1 के कोई पुत्र–पुत्री सन्तान नही होने से उसकी सेवा चाकरी, भरण पोषण वगैरा मुझ वादी द्वारा की किया जा रहा था और इससे प्रसन्न होकर प्रतिवादी सं. 1 ने अपने स्वार्जित एवं अविभक्त की उक्त वर्णित कुलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि को मुझ वादी को दान कर दी और दान पत्र मुझ वादी के पक्ष में दिनांक 17.04.2012 को लिखा उप पंजीयन कार्यालय मावली में पंजीयन करवा दिया तब से उक्त जमीन पर मुझ वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा निष्पादित दान पत्र के अनुसार मैं वादी उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र मालिक हूँ एवं उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। परन्तु दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलाने की जानकारी मुझ वादी को नही होने से उक्त भूमि दानदाता प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर ही दर्ज रह गयी और प्रतिवादी सं. 1 व 2 को इस बात की भलीभाँति जानकारी थी कि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने मुझ वादी को दान देकर कब्जा दे रखा है और रजिस्टर्ड दानपत्र भी मुझ वादी के नाम से लिख रखा है। फिर भी इन लोगो ने नाजायज फायदा उठाकर अवैद्य रूप से जमीन प्राप्त करने एवं मेरे साथ धोखाधडी करने की नियत से तथा परेशान, जलील करने के आशय से उपरोक्त भूमि का कूटरचित दस्तावेज प्रतिवादी सं. 2 ने तैयार करा प्रतिवादी सं. 1 से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने पक्ष में विक्रय करा दिया तथा प्रतिवादी सं. 2 ने षडयन्त्र रचकर अन्यथा लाभ प्राप्त करने की नियत से व सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुए भी प्रतिवादी सं. 1 से मिलीभगत करके एवं रूपयों पैसो के बल पर उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का नामान्तरकरण भी अपने पक्ष में करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी जमीन का दान पत्र मुझ वादी के पक्ष में लिखाया है जो प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में किये गये कूटरचित विक्रय पत्र से पूर्व दिनांक 17.04.2012 का है।

3. यह कि मैं वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ किन्तु जमीन प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर ही दर्ज रह जाने के कारण उसने व प्रतिवादी सं. 2 ने आपस में मिलीभगत कर प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा दी और प्रतिवादी सं. 2 ने इस कूट रचित दस्तावेज के जरिये अपने नाम पर नामान्तरकरण भी खुलवा दिया जिससे भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी सं. 2 इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर मुझ वादी की उक्त कृषि भूमि को अन्यों को विक्रय करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

धमकीया दे रहा है तथा मुझ वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर भी आमादा है। जबकि प्रतिवादी सं. 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी दान पत्र दिनांक 17.04.2012 के अनुसार उक्त कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम पर दर्ज है, उसे मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त कृषि भूमि को अपनी सेवा चाकरी व भरण पोषण के बदले में मुझ वादी को दान में दी है। किन्तु वादी के पक्ष में नामान्तरकरण नही खुलने से जमीन प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रह गई और इस अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1, 2 ने आपस में मिलीभगत कर कूचरचित दस्तावेज के जरिये भूमि प्रतिवादी सं. 2 को जमीन ट्रान्सफर कर दी और इससे जमीन भी प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर दर्ज हो चुकी है और भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर दर्ज हो जाने से वह मुझ वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने व जमीन अन्य को बेचने की ऐलानिया धमकीयां दे रहे है जबकि प्रतिवादी सं. 2 का मेरी उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 उक्त वादग्रस्त जमीन किसी अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 09.01.2015 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 2 ने मौके पर आकर कहा कि ये जमीन मैने खरीद ली है और तुम अपना कब्जा हटा देना वरना जबरन बेदखल कर कब्जा कर लूंगा और जमीन अन्य को बेच देगें तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर मुझ वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कराया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, प्रवेश नही करे, बेदखल नही करे, न कब्जा करे, न उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। एवं प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 को पाबन्द किया जावें कि वह ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं चतरा पिता कमला भील का शपथ पत्र पेश हुआ। वादी स्वयं द्वारा दस्तावेजात मौजा कुण्डाल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 की खाता संख्या 805 प्रदर्श 1, दान पत्र दिनांक 17.04.2012 प्रदर्श 2 करवाए गए।

8. अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 06 की तरफ से एक तरफा कार्यवाही हो चुकि है। उक्त वर्णित आराजी जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र पुत्री सन्तान नही होने से उसकी सेवा चाकरी भरण पोषण वगैरा वादी द्वारा ही किया जा रहा था और इससे प्रसन्न होकर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की उक्त वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमि वादी को दान कर दी और दान पत्र वादी के पक्ष में दिनांक 17–04–2012 को लिख उप पंजीयन कार्यालय मावली में पंजीयन करवा दिया तब से उक्त कृषि भूमि पर वादी का निरन्तर निर्बाध रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा निष्पादित दानपत्र के अनुसार वादी उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र मालिक है एवं उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है परन्तु वादी [illegible]ढ होने से दानपत्र के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Panadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण खुलाने की जानकारी वादी को नही होने से उक्त कृषि भूमि दानदाता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही दर्ज रह गई, इसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को थी कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी 01 ने वादी को दान देकर कब्जा दे रखा है, रजिस्टर्ड दानपत्र भी वादी के पक्ष कर रखा है फिर भी इन लोगो ने नाजायज फायदा उठाकर अवैध रुप से जमीन प्राप्त करने एवं वादी के साथ धोखधडी करने की नियत से उपरोक्त कृषि भूमि का कूटरचित दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 02 ने तैयार करा प्रतिवादी संख्या 01 से प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र करा दिया एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ने जमीन का नामान्तरकरण भी अपने पक्ष में करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी जमीन का रजिस्टर्ड दानपत्र वादी के पक्ष करवाया है, जो प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किये गये कूटरचित विक्रयपत्र से पूर्व का है। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 02 धर्मराज द्वारा अपने हिस्से की जमीन को जरिये विक्रय पत्र गोपाल पिता लोगर भील निवासी भीलवाड़ा डागरीया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर को विक्रय कर दी उसका अंकन राजस्व जमाबंदी में हो चुका है, जो प्रतिवादी संख्या 06 है।

9. यह कि वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रुप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है किन्तु जमीन प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही दर्ज रह जाने के कारण उसने व प्रतिवादी संख्या 02 ने आपस में मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा दी और प्रतिवादी संख्या 02 ने इस कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का नामान्तरकरण भी अपने पक्ष में करवा दिया जिससे भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर दर्ज हो चुकी है, प्रतिवादी संख्या 02 इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर वादी की उक्त कृषि भूमि को दौराने वाद जरिये विक्रय पत्र गोपाल पिता लोगर भील निवासी भीलवाडा डागरीया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर को विक्रय कर दी उसका अंकन राजस्व जमाबंदी में हो चुका है, जो प्रतिवादी संख्या 06 अन्य को विक्रय करने की धमकीया दे रहा है, तथा वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर भी आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 06 को ऐसा करने का कोई [illegible] अधिकार नही है, इसलिए वादी दानपत्र दिनांक 17—04—2012 के अनुसार उक्त कृषि भूमि जो वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01. 06 के नाम दर्ज है, उसे वादी के नाम पर खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है, जिसके लिये यह वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश है.वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योकि प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त कृषि भूमि को अपनी सेवा चाकरी व भरण पोषण के बदले में वादी को दान में दी है, किन्तु वादी के पक्ष में नामान्तरकरण नही खुलने से कृषि भूमि प्रतिवादी 01 के नाम दर्ज रह गई और इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी 1, 2 ने आपस में मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज के जरिये उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी, जिससे उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर दर्ज हो गई एवं दौरान वाद उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 06 पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी, प्रतिवादी संख्या 06 ने उक्त कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा दी, अब प्रतिवादी संख्या 01,02, 06 वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने व कृषि भूमि अन्य को बेचने की ऐलानिया धमकिया दे रहे है. जबकि प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 को वादी की उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही है, इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है, कि प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 उक्त वादग्रस्त जमीन किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादी के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा ज़ारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रुपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

10. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे एवं वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही कर, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, न ही नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादी के मार्फत करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pradesh
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

11. हमने अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय लिखित बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 1 ग्राम कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 805 पर दर्ज आराजी नम्बर 1244, 1246, 1247, 1248 किता 4 कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र 17.04.2012 से वादी को दान कर दी गई। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.04.2012 के तहत वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही करने से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज चली आ रही थी। जिसके कारण पुनः प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2014 के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1911 दिनांक 21.11.2014 पारित कर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भूमि दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर दी गई। जिसके कारण वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज कर दी गई।

न्यायालय का अभिमत है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र 17.04.2012 से वादी को दान कर देने से वादी दिनांक 17.04.2012 से ही उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूल के कारण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रह गई, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नाजायज लाभ उठाकर पुनः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया गया। जो अवैध है क्यों कि उक्त विक्रय वादग्रस्त भूमि के वास्तविक खातेदार द्वारा नही किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में किया गया विक्रय भी अवैध है। इस प्रकार रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.04.2012 के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में की गई सभी प्रविष्टियां एवं सभी विक्रय शुन्य प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार दिनांक 17.04.2012 से वादी हो चुका था, इस कारण से वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेज निष्पादन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

का अधिकार केवल मात्र वादी का था। ऐसे में 17.04.2012 के दान पत्र के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार ही नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा किये गये विक्रय को नहीं माना जा सकता हैं।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत मोहरूपुरी बनाम लोचन सिंह 1990 आर. आर.डी. पेज नम्बर 44 के पैरा 7 में स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति ने कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये, जब उसके पक्ष में एक विक्रय पत्र पहले निष्पादित कर दिया गया। उसी भूमि को बाद में दूसरे व्यक्ति को पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेच दिया गया और अधिकार अभिलेख में दूसरे खरीददार के पक्ष में प्रविष्टियां (इन्द्राज) कर दी गई। अभिनिर्धारित कि इसके बावजूद पहला खरिदार उस भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के अनुतोष का हकदार है।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.04.2012 के आधार पर उक्त न्यायिक दृष्टांत अनुसार घोषणा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 805 पर दर्ज आराजी नम्बर 1244, 1246, 1247, 1248 किता 4 कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वादी चतरा पिता कमला भील को रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. चतरा पिता कमला जाति भील आयु वयस्क निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) .....वादी

बनाम

1. श्रीमती राधाबाई पत्नी डालू भील आयु वयस्क निवासी कुण्डाल हाल निवासी 153, हरिजन बस्ती, ढेबर कोलोनी, खेमपुरा उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)
2. धर्मराज पिता भेरूलाल भील आयु वयस्क निवासी नांदवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. उप पंजियक, उप पंजियन कार्यालय मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. गोपाल पिता लोगर भील आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा, डांगरिया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 21/15 (वाद) GCMS No. – 2015/00080

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 805 पर दर्ज आराजी नम्बर 1244, 1246, 1247, 1248 किता 4 कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वादी चतरा पिता कमला भील को रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:14 IST
Reason: SelfAttested